



दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण पर निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.04.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित की गयी टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर खास की सूचना पर केश नं० 351/20 धारा 135 EC Act व 429 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सभा सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई को ग्राम सिचौरा थाना कबरई से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त को सम्बन्धित मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण..।

सभा सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. उ०नि. सुमित नारायण तिवारी
2. हे०कां० उमेन्द्र शुक्ला
3. हो०गा० रामगोपाल





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

जनपद महोबा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब/नशीले पदार्थों की बिक्री एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री राजकुमार पाण्डेय के सफल पर्यवेक्षण में अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में दिनांक 04.04.2021 को SO महोबकंठ श्री लाखन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान में सममिलित होकर ग्राम पिपरी से अभियुक्त हरनारायण अहिरवार पुत्र बूचा अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 15 ली0 कच्ची मुहआँ शराब नाजायज मुहुआ बरामद की गया बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 – 43/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम...

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना महोबकंठ
2. कां0 पंकज पाल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

हरनारायण अहिरवार पुत्र बूचा अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



चेकिंग अभियान के तहत परखी गयी बैंको की सुरक्षा...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत संदिग्धों व असामाजिक तत्वों की चेकिंग तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.04.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के नेतृत्व में गठित टीमों ने जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित बैंकों को चेक किया गया। इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया। बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं बैंको के प्रबन्धकों से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी। जिन बैंकों में सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे उन बैंकों के प्रबन्धकों को उचित हिदायत दी गयी। इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़े करवाकर आवश्यक कार्यवाही की गयी, साथ ही टीम द्वारा सभी को यातायात के नियमों का पालन करने व वैश्विक महामारी कोविड के प्रति जागरूक करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की गयी।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार...।

जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण पर निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.04.2021 को **SHO** कुलपहाड श्री रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं० 75/2021 धारा 272/419/420/467/468/471/120B **IPC 60A EX** आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित दो नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः (1) रविकरन राजपूत पुत्र बालकेश उम्र करीब 32 वर्ष (2) नीरज कुमार गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता उम्र करीब 31 वर्ष को श्रीनगर तिराहा बस स्टैण्ड कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार कर सम्बन्धित मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त गण का विवरण:-

1. रविकरन राजपूत पुत्र बालकेश उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हरिया थाना राठ जिला हमीरपुर।
2. नीरज कुमार गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता उम्र करीब 31 वर्ष निवासी मु० छोटी जुल्हैटी कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० अवधेश कुमार सिंह
2. कां० दयाशंकर 3. कां० विनोद कुमार 4.कां० संदीप मौर्या 5. कां० मिथुन कुमार





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार..।

जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण पर निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.04.2021 को **SO** महोबकंठ श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम जिसमें उ०नि० दशरथ सिंह मय हमराह का० मनोज गौतम के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर एक नफर वारण्टी अभियुक्त हरनारायण पुत्र शीतल प्रसाद उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम तेलीपहाड़ी थाना महोबकंठ जनपद महोबा परिवाद संख्या 658/19 धारा 338 **NI ACT** से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को अभियुक्त के घर के पास ग्राम तेलीपहाड़ी से गिरफ्तार करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर सम्बन्धित मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. उ०नि० दशरथ सिंह
2. का० मनोज गौतम

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण...

हरनारायण पुत्र शीतल प्रसाद उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम तेलीपहाड़ी थाना महोबकंठ जनपद महोबा।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



शहर की यातायात व्यवस्था से खिलवाड करने वाले 12 आपे किये गये सीज...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर शहर को जाम-मुक्त कराने व आवागमन को अनवरत गतिमान बनाये रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 05.04.2021 को चलाये गये विशेष चेकिंग अभियान के तहत यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने कानून-कायदे को ताक पर रखकर बिना नम्बर प्लेट, बिना कागजात के अनावश्यक रूप से रोड़ पर खडे कर जाम लगाने वाले आपे की चेकिंग की गयी।

इस दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड, आल्हा चौक, ऊदल चौक, परमानन्द तिराहा आदि शहर के प्रमुख जगहों पर चेकिंग की गयी, चेकिंग के दौरान 12 आपे चालकों के पास वाहनों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज न होने पर पकडा गया जिसके क्रम में सभी को नियमों की अनदेखी करने के कारण सीज किया गया।

यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा ने इस दौरान कहा कि विभाग द्वारा शहर को जाम-मुक्त करने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाकर मनमानी करने वाले चालकों पर शिकंजा कसा जायेगा।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



मिशनशक्ति टीम ने बच्चियों को समझाया "गुड टच और बैड टच"

आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे "मिशन शक्ति" महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम के द्वारा जनपद महोबा में नृत्य शक्ति एकेडमी में जाकर वहां उपस्थित बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 के प्रति जागरूक किया गया और सभी बच्चियों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में समझाया गया व प्रमुखता से चर्चा की गयी और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के विषय हेतु प्रेरित करते हुये कहा गया कि जहां कहीं भी आप जाये तो उसकी जानकारी अपने माता-पिता को उसकी सही जानकारी दें, सार्वजनिक स्थान पर पडी कोई भी वस्तु न उठाये साथ ही किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान न लेने व उनके साथ कहीं न जाने के लिये समझाया गया. निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह ने सभी बच्चियों को अपना दोस्त बताया और मुसीबत में टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर मदद लेने के लिये प्रेरित किया।

साथ ही टीम ने अन्य हेल्पलाइन नम्बरों यथा- 112, 1090, 1076 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें या फिर पुलिस के ट्वीटर हैंडल @mahobapolice का भी प्रयोग कर शिकायत दर्ज कराते हुये शोहदों को उनका सबक सिखाये इसी क्रम में सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी देते हुये सभी को मिशनशक्ति जागरूकता पम्पलेट्स का वितरण भी किया गया।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



एण्टी रोमियो स्कॉड ने क्षेत्र में भ्रमण कर संदिग्ध/असामाजिक तत्वों से की पूछताछ...।

आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर गठित एण्टीरोमियो स्कॉड सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं, जिसके क्रम में उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय टीम जिसमें महिला कांस्टेबल चांदनी और महिला कॉन्स्टेबल प्रीति पटेल द्वारा उदल चौक एवं ग्राम चांदो आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में वार्ता की गयी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया एवं आवश्यक हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया गया। इस दौरान बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों से पूछताछ की गयी व अनावश्यक रूप से घूम रहे युवकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

इसी क्रम में वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु सभी को मास्क लगाने/सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जागरूक किया गया तथा सभी से अपील की गयी कि वैक्सीन का नम्बर आने पर वैक्सीन जरूर लगवायें, वैक्सीन सुरक्षित व प्रभावी है।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवारस्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० अजनर श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर **केश नं० 24/2017 मु.अ.सं. 39/2017 धारा 60 आबकारी एक्ट** मा० न्यायालय A.C.J.M. कोर्ट महोबा से निर्गत वारण्ट के वारण्टी अभियुक्त मूजेश पुत्र बृन्दावन यादव उम्र 31 वर्ष नि० ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मूजेश पुत्र बृन्दावन यादव उम्र 31 वर्ष नि० ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व०उ०नि० श्री रामप्रताप यादव
2. का० राममिलन



दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 अजनर श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित टीम ने 02 नफर अभियुक्त 1. हरिशंकर कुशवाहा s/o धूराम उम्र करीब 30 वर्ष 2. रामजी कुशवाहा s/o हल्काई उम्र करीब 20 वर्ष, समस्त नि0ग्राम भगारी थाना अजनर जनपद महोबा को क्रमशः **22 व 20 अदद अवैध क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।** जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः **मु.अ.स. 62/2021 व 63/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. हरिशंकर कुशवाहा s/o धूराम उम्र करीब 30 वर्ष
 2. रामजी कुशवाहा s/o हल्काई उम्र करीब 20 वर्ष
- समस्त नि0ग्राम भगारी थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा
2. का. कुँवरपाल
3. का. राममिलन






दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



15 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्त को महोबकण्ठ पुलिस ने किया गिरफ्तार



आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियुक्त राजकुमार कबूतरा पुत्र राम सिंह कबूतरा निवासी कस्बा व थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को **01 प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर अवैध कच्ची शराब** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 44/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजकुमार कबूतरा पुत्र राम सिंह कबूतरा निवासी कस्बा व थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री सूरज प्रसाद
2. कां0 मनोज कुमार



दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा ग्राम छिकहरा में आयोजित की गई चौपाल एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा वाहनों पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान



आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में एसडीएम सदर श्री सौरभ पाण्डेय, सीओ नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ ग्राम छिकहरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से वार्ता की गई एवं आचार संहिता की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया।

क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय फोर्स के थाना चरखारी अन्तर्गत चार पहिया, दो पहिया वाहनो के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

जनपदीय थाने- खन्ना/श्रीनगर/चरखारी/कोतवाली महोबा द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से वार्ता की गई एवं अवैध शराब की जानकारी देने, आचार संहिता की जानकारी आदि मुद्दों पर वार्ता की गई एवं पुलिस/प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।

इसके साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग एवं शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।





दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस द्वारा जुआ खेलते 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे शराबियों/जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री

लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने ग्राम कनौरा से 03 नफर अभियुक्तगण को रुपये-पैसों से ताश-पत्तो द्वारा हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। जबकि 01 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। **अभियुक्तों से मालफ़ड़ 1250/- रु० व जामा तलाशी 320/-रु० व 52 अदद ताश पत्ता बरामद किया गया।** अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु०अ०स० 45/21 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. छक्की लाल पुत्र गगन बसोर उम्र 52 वर्ष
2. लेखपाल पुत्र धनीराम अनुरागी उम्र 25 वर्ष
निवासीगण ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
3. रामकुमार अहिरवार पुत्र शिवराम अहिरवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बीहट थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
4. दिलीप कुमार पुत्र महिपत अहिरवार निवासी ग्राम कनौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा। **(मौके से भागा)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री सुनील कुमार
2. कां० प्रद्युम्न कुमार
3. का० प्रवीन कुमार
4. कां० सज्जन लाल



दिनांक:- 05.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



GOOD MORNING MAHOBA

दिनांक 05.04.2021



MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस की गुड़ मॉर्निंग टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सुबह कि सैर करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगो से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना तथा स्कूली बच्चों से मिलकर आगामी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षा से संबंधित

महत्वपूर्ण टिप्स दिये ।

चलो दुखों को भुलाकर एक बार फिर जीते हैं, कब तक ऐसे जियेंगे?

चलो आज ज़िन्दगी की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ करते हैं। सुप्रभात।

